



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568]

No. 568]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 29, 2007/पौष 8, 1929

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 29, 2007/PAUSA 8, 1929

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2007

सा.का.नि. 792(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में पृष्ठ 1-8 पर प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 773(अ) दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 और भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित शुद्धि पत्र संख्या सा.का.नि. 242(अ) दिनांक 28-3-2007 के साथ पठनीय, में

पृष्ठ संख्या 1 पर, नियम 1 (2) में "30-3-2007" अंकों के स्थान पर "1-3-2008" पढ़ें।

[फा. सं. पी-15014/10/2005-पीएच(एफ)]

देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th December, 2007

G.S.R. 792(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 773(E) dated 29-12-2006 [Prevention of Food Adulteration (10th Amendment) Rules, 2006] published in Part II, Section 3, Sub-section (i) at page 1-8 of the Gazette of India, Extraordinary and read with Corrigendum No. G.S.R. 242(E), dated 28th March, 2007 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary :—

(i) At page 5, in sub-rule (2) of rule 1, for the words and figures "on the 30th day of March, 2007", read the words and figures "on 1st March, 2008".

[F.No. 15014/10/2005-PH(F)]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.